भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

28.07.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1447 का उत्तर

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1447. श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. उमेश जी. माधव:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में चल रही और लंबित विभिन्न रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी रेल परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक राज्य में ऐसी अनुमोदित/चल रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण होने या शुरू होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

कर्नाटक में रेल परियोजनाओं के संबंध में 28.07.2021 को लोक सभा में श्री प्रताप सिम्हा, डॉ. उमेश जी. माधव, श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले, श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा और श्री बी.वाई. राघवेन्द्र के अतारांकित प्रश्न सं. 1447 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य-वार, क्योंकि भारतीय रेल का नेटवर्क विभिन्न राज्यों की सीमाओं के बाहर फैला हुआ है। बहरहाल, 01.04.2021 तक, कर्नाटक राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4,544 किलोमीटर लंबाई की 56,245 करोड़ रु. की लागत वाली कुल 36 परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 1,193 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2021 तक 15,537 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **2,583 किमी कुल लंबाई और 34,154 करोड़ रु. की लागत वाली 21 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 284 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2021 तक 4,803 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।**
- **1,961 किमी कुल लंबाई की 15 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनकी लागत 22,091 करोड़ रु. है, जिनमें से 909 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च 2021 तक 10,734 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।**

कर्नाटक राज्य में दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर), मध्य रेलवे (सीआर), दक्षिण रेलवे (एसआर), दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी चालू परियोजनाओं का रेलवे जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget)> Rail Budget/Pink book (year) >Railway-wise Works

S.K

Machinery and Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

कर्नाटक राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को (2009-14 के दौरान) 835 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2014-19 के दौरान, 2702 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 224% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, इन कार्यों के लिए कुल 4,204 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है जो औसत वार्षिक बजट परिव्यय के संबंध में 403% अधिक है।

2014-21 के दौरान, कर्नाटक राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1,162 किमी की परियोजनाओं (281 किमी की नई लाइन और 881 किमी की दोहरीकरण परियोजनाएं) को 166 किमी प्रति वर्ष की औसत दर से चालू कर दिया गया है, जो 2009-14 के दौरान (113 किमी/वर्ष) चालू करने की औसत दर से 47% अधिक है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए उस वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं। जिसका समापन चरण पर अंतिम रूप से आकलन किया जाता है। बहरहाल, परियोजना(ओं) को शीघ्र निष्पादित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ): रेल परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेल द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में (i) परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण (ii) प्राथमिकता वाली

परियोजनाओं पर धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (iv) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी और (v) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

****

S.K